वी. दंडपाणि चेट्टियार

बनाम

बालासुब्रमणियन चेट्टियार (मृतक) उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य

8 अगस्त, 2003

[न्यायमूर्ति एम. बी. शाह तथा न्यायमूर्ति डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 — धारा 15(2)(क) एवं 15(1) :एक हिंदू महिला, जिसने समझौता डिक्री के आधार पर अपनी मातृ पक्ष से वादग्रस्त संपत्ति प्राप्त की थी, निर्वसीयत तथा निःसंतान मृत्यु को प्राप्त हुई — वादग्रस्त संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी कौन होगा — अभिनिर्धारित : उसके पति के उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उसके पिता के उत्तराधिकारी होंगे।

'आर', एक हिंदू महिला, ने अपनी मातामही की संपत्तियाँ एक वाद में पारित समझौता डिक्री के आधार पर प्राप्त की थीं। 'आर' की निःसंतान तथा निर्वसीयत मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में यह घोषणा प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(2) के अनुसार उक्त संपत्तियाँ 'आर' के पिता के उत्तराधिकारियों, अर्थात् अपीलकर्ता तथा उत्तरदाता संख्या 2 से 9 एवं 23, पर अवतरित हुई हैं। वाद खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय में दायर अपील भी खारिज कर दी गई। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. धारा 15 उस हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए, जो अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात निर्वसीयत मृत्यु को प्राप्त होती है, एक निश्चित तथा एकरूप योजना का प्रतिपादन करती है। यह धारा महिला निर्वसीयत के उत्तराधिकारियों को पाँच श्रेणियों में विभाजित करती है,

जिन्हें उपधारा (1) में प्रविष्टि (क) से (ङ) तक वर्णित किया गया है। उपधारा (2) द्वारा, उपधारा (1) में निर्धारित अन्यथा एकरूप उत्तराधिकार क्रम पर समान प्रकृति के दो अपवाद आरोपित किए गए हैं। [376-डी-ई]

1.2. ये दो अपवाद यह हैं कि यदि महिला कोई संतान छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त होती है, तो (1) उसके द्वारा अपने पिता अथवा माता से विरासत में प्राप्त संपत्ति, पाँच प्रविष्टियों (क) से (ङ) में निर्धारित क्रम के अनुसार अवतरित न होकर, उसके पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी; तथा (2) उसके द्वारा अपने पति अथवा श्वसुर से विरासत में प्राप्त संपत्ति, उपधारा (1) की पाँच प्रविष्टियों (क) से (ङ) में निर्धारित क्रम के अनुसार अवतरित न होकर, उसके पति के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी। [376-ई-एफ]

1.3. उपर्युक्त दोनों अपवाद केवल उस संपत्ति तक सीमित हैं जो महिला ने अपने पिता, माता, पति अथवा श्वसुर से "विरासत" में प्राप्त की हो। इनका प्रभाव उस संपत्ति पर नहीं पड़ता जो उसने उनमें से किसी से उपहार के रूप में अथवा वसीयत के अधीन प्राप्त की हो। वर्तमान धारा 15 को धारा 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए एक नवीन तथा एकरूप व्यवस्था का प्रतिपादन करती है और उसके वितरण की विधि को विनियमित करती है। अन्य शब्दों में, पिता अथवा माता से विरासत में प्राप्त संपत्ति के संबंध में यह व्यवस्था केवल उस स्थिति तक सीमित है जहाँ महिला अपने पीछे कोई पुत्र, पुत्री अथवा किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतान छोड़कर नहीं मरती है। [376-एफ-जी]

2.1. 'आर' की मृत्यु निर्वसीयत हुई तथा उसने अपने पीछे कोई पुत्र, पुत्री अथवा किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतान नहीं छोड़ी। यह तर्क कि 'आर' को वादग्रस्त संपत्ति समझौता डिक्री के कारण प्राप्त हुई थी और इसलिए वह संपत्ति उसे उसके पिता अथवा माता से विरासत में प्राप्त नहीं हुई, पूर्णतः निराधार है। उसकी माता के पूर्व निधन हो जाने के कारण वह अपनी मातामही

की संपत्ति की उत्तराधिकारी बनने की अधिकारी थी। अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा कुछ विवाद उत्पन्न किए जाने पर एक वाद दायर किया गया। उस वाद में 'आर' के अधिकारों को मान्यता दी गई और उसके पक्ष में समझौता डिक्री पारित की गई। परिणामस्वरूप, उसे संपत्ति अपनी माता की पुत्री होने के नाते प्राप्त हुई। अर्थात् उसे वादग्रस्त संपत्ति अपने पति अथवा श्वसुर से नहीं, बल्कि अपनी माता के पक्ष से प्राप्त हुई थी। [377-सी, डी-ई]

अय्यी अम्माल बनाम सुब्रमणिया आसारी एवं अन्य, **एआईआर 1996 मद्रास 369**, **संदर्भित।**

2.2. प्रथम उत्तरदाता तथा अन्य प्रतिवादी उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत यह मामला कि 'आर' ने वादग्रस्त संपत्ति अपनी माता से नहीं, बल्कि अपनी मातामही तथा प्रमातामही से प्राप्त की थी और इसलिए अधिनियम की धारा 15(1) ही लागू होगी, किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। 'आर' ने अपने अधिकार समझौते के आधार पर प्राप्त किए थे, जो उसके पूर्वविद्यमान अधिकार की पुनर्पुष्टि एवं घोषणा मात्र थी। अतः 'आर' की निर्वसीयत एवं निःसंतान मृत्यु होने पर, अधिनियम की धारा 15(2)(क) के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित हुई। [379-ए-बी]

वेनुगोपाल पिल्लै बनाम टी. अम्माल, **एआईआर 1979 मद्रास 124**, अनुमोदित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1995 की दीवानी अपील संख्या 6626

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या 32/1983 में पारित दिनांक 12.4.1988 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से : के. राम कुमार तथा बी. श्रीधर रेड्डी।
उत्तरदाताओं की ओर से : ए.टी.एम. सम्पथ, वी. बालाजी तथा सुश्री टी.एस. शांति।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन द्वारा दिया गया : इस अपील में अपीलकर्ता वह असफल वादी है, जो तीनों न्यायालयों में अपना वाद हार चुका है। अपीलकर्ता (दंडपाणि चेट्टियार) ने कडलूर के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में वाद संख्या 300/1974 दायर कर यह घोषणा करने की प्रार्थना की कि वादग्रस्त संपत्तियाँ उसी तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 9 एवं 23 (उत्तरदाता संख्या 2 से 9 एवं 23) की हैं। साथ ही चल एवं अचल संपत्तियों में अपने 1/10 वें हिस्से के विभाजन एवं पृथक कब्जे तथा पूर्वकालिक लाभ (मेस्ने प्रॉफिट्स) की वसूली की भी प्रार्थना की। उसका संक्षिप्त मामला यह था कि वादग्रस्त संपत्तियाँ राजात्तियम्माल को प्राप्त हुई थीं और उसने ये संपत्तियाँ अपनी माता शिवभाग्यम्माल से प्राप्त की थीं। राजात्तियम्माल ने स्त्रीधन उत्तराधिकारी के रूप में इन संपत्तियों का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। राजात्तियम्माल की 01.07.1972 को निःसंतान एवं निर्वसीयत मृत्यु हो जाने पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 15(2) के अनुसार वादग्रस्त संपत्तियाँ राजात्तियम्माल के पिता, अर्थात् वेनुगोपाल चेट्टियार, के उत्तराधिकारियों पर अवतरित हुईं। अपीलकर्ता (वादी) तथा उत्तरदाता संख्या 2 से 8 (प्रतिवादी संख्या 2 से 8) उक्त वेनुगोपाल चेट्टियार की एक पत्नी से उत्पन्न संतानें हैं। नवम प्रतिवादी (उत्तरदाता संख्या 9) उक्त वेनुगोपाल चेट्टियार की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है तथा उत्तरदाता संख्या 23 (प्रतिवादी संख्या 23) उसकी पत्नियों में से एक है। इस प्रकार वे सभी उसके उत्तराधिकारी हैं।

प्रथम उत्तरदाता बालासुब्रमणियन चेट्टियार (मृत) तथा अन्य उत्तरदाताओं का मामला यह है कि राजात्तियम्माल की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त संपत्तियाँ, उसके किसी संतान के न होने के कारण, अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत उसके पति मुथुकुमारसामी के उत्तराधिकारियों पर अवतरित हुईं। वैकल्पिक रूप से, उत्तरदाताओं ने यह भी प्रतिवाद किया कि राजात्तियम्माल ने

दिनांक 15.06.1972 को प्रदर्श बी-26 के रूप में एक वसीयत निष्पादित की थी और उक्त वसीयत के अनुसार प्रथम उत्तरदाता बालासुब्रमणियन चेट्टियार तथा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में वसीयतनामा-आधारित उत्तराधिकार होगा।

कडलूर के अधीनस्थ न्यायाधीश ने कुल 22 मुद्दे निर्धारित किए। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि वादग्रस्त संपत्तियाँ राजात्तियम्माल को केवल 1926 के वाद संख्या 8, जो शिवभाग्यम की संतान नटनसभापति द्वारा दायर किया गया था, तथा 1942 के वाद संख्या 15 में पारित समझौता डिक्रियों के कारण प्राप्त हुई थीं और उसका पूर्वविद्यमान अधिकार अप्रासंगिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की केवल धारा 15(1) ही लागू होती है, जिससे प्रथम उत्तरदाता बालासुब्रमणियन चेट्टियार तथा उसका समर्थन करने वाले अन्य उत्तरदाता/प्रतिवादी लाभान्वित होते हैं। जहाँ तक कथित वसीयत प्रदर्श बी-26 का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह राजात्तियम्माल द्वारा निष्पादित एक वास्तविक एवं वैध दस्तावेज है। इन निष्कर्षों के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/वादी के दावे को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 1055/1977 दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि वादग्रस्त संपत्तियाँ राजात्तियम्माल को उसकी माता से उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई थीं, बल्कि उसकी मातामही की स्त्रीधन उत्तराधिकारी के रूप में वाद संख्या 8/1926 तथा वाद संख्या 15/1942 की समझौता डिक्रियों के माध्यम से प्राप्त हुई थीं, जिनके द्वारा उसे उक्त संपत्तियाँ प्रदान की गई थीं। अतः केवल अधिनियम की धारा 15(1) ही लागू होती है। इस आधार पर उन्होंने दिनांक 17.12.1982 के निर्णय द्वारा अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रथम प्रतिवादी/प्रथम उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत तथा विचारण न्यायालय द्वारा राजात्तियम्माल द्वारा निष्पादित मानी गई वसीयत प्रदर्श बी-26 विधिवत सिद्ध नहीं की गई है और इसलिए वसीयत के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अपील में निरस्त कर दिया गया।

इसके पश्चात् अपीलकर्ता ने उक्त उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 32/1983 दायर की। खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि राजात्तियम्माल की संपत्ति अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार अवतरित होगी, न कि धारा 15(2) के अनुसार, और यह संपत्ति वादी, अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता, तथा उत्तरदाता संख्या 2 से 9/प्रतिवादी संख्या 2 से 9 पर अवतरित नहीं होगी। इसलिए अपीलकर्ता/वादी का यह तर्क कि सेंगामलम और थैयनायगी की मृत्यु के पश्चात् शिवभाग्यम को संपत्तियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था, अस्वीकार्य है। इस प्रकार खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 15(2) लागू नहीं होती, अपीलकर्ता की लेटर्स पेटेंट अपील को दिनांक 12.04.1988 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी ने यह वर्तमान अपील इस न्यायालय में दायर की है।

हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के. राम कुमार तथा प्रतिवादी उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.टी.एम. सम्पथ को सुना। अपीलकर्ता/वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के. राम कुमार ने हमें अभिवचनों, विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों और वाद संख्या 8/1926 तथा वाद संख्या 15/1942 में पारित समझौता डिक्रियों का अवलोकन कराया। श्री के. राम कुमार ने तर्क दिया कि चूँकि राजात्तियम्माल को संपत्तियाँ समझौता डिक्रियों (प्रदर्श बी-1 से बी-84) के माध्यम से प्राप्त हुई थीं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वे उसकी माता से विरासत में प्राप्त संपत्तियाँ थीं। इसलिए पक्षकारों की

दलीलों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है कि राजात्तियम्माल की संपत्तियों के उत्तराधिकार के संबंध में अधिनियम की धारा 15(1) लागू होती है अथवा धारा 15(2)। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपीलकर्ता/वादी तथा उसके भाई-बहन अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 से 9 और उसकी माता प्रतिवादी संख्या 23, राजात्तियम्माल के उत्तराधिकारी हैं और वे उक्त संपत्तियों के अधिकारी हैं।

इसके विपरीत, प्रतिवादी उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.टी.एम. सम्पथ ने तर्क दिया कि राजात्तियम्माल ने दिनांक 15.06.1972 को प्रदर्श बी-26 के रूप में एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसके अंतर्गत उसने कुछ संपत्तियों में पूर्ण स्वामित्व हित प्रथम प्रतिवादी/प्रथम उत्तरदाता बालासुब्रमणियन चेट्टियार को प्रदान किया था तथा कुछ संपत्तियाँ उसके पुत्र सरवनन को वसीयत की थीं। अन्य कुछ संपत्तियों में उसने सुब्रमणियम चेट्टियार, जो राजलक्ष्मी (प्रतिवादी-6) के पति थे, वी. कृष्णासामी चेट्टियार (प्रतिवादी-9) तथा नागलक्ष्मीअम्माल (प्रतिवादी-25) जैसे व्यक्तियों को सीमित हित प्रदान किया था तथा यह निर्देश दिया था कि कुछ संपत्तियों में अवशिष्ट हित प्रथम प्रतिवादी/प्रथम उत्तरदाता में तथा कुछ अन्य संपत्तियों में उसके पुत्र सरवनन में निहित होगा। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची में वर्णित मद संख्या 8 एवं 9 की संपत्तियों से प्राप्त आय से तिरुप्पापुलियूर स्थित एक मंदिर में ब्रह्मोत्सव आयोजित करने के लिए भी प्रथम उत्तरदाता को निर्देश दिए गए थे। श्री सम्पथ ने आगे तर्क दिया कि राजात्तियम्माल की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने वसीयत की शर्तों के अनुसार संपत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया और उनमें सुधार भी किए तथा कुछ संपत्तियों को पट्टे पर भी दे दिया। अतः प्रथम उत्तरदाता तथा अन्य उत्तरदाता, जो वसीयत के अधीन लाभार्थी हैं, उक्त संपत्तियों के अधिकारी हैं। यहाँ तक कि यदि वसीयत को स्वीकार न भी किया जाए और यह माना जाए कि

राजात्तियम्माल की मृत्यु निर्वसीयत हुई, तब भी अधिनियम के अनुसार केवल प्रतिवादी उत्तरदाता ही राजात्तियम्माल के उत्तराधिकारी होने के कारण संपत्तियों के अधिकारी होंगे।

अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि राजात्तियम्माल द्वारा समझौता डिक्री प्रदर्श बी-2 एवं बी-8 दिनांक 27.08.1927 तथा 19.09.1949, जो क्रमशः वाद संख्या 8/1926 तथा वाद संख्या 15/1942 में पारित हुई थीं, के अंतर्गत प्राप्त संपत्तियाँ, उसकी 01.07.1972 को मृत्यु के पश्चात्, एक ओर अपीलकर्ता/वादी तथा उत्तरदाता संख्या 2 से 9/प्रतिवादी संख्या 2 से 9 और दूसरी ओर प्रथम प्रतिवादी/प्रथम उत्तरदाता तथा अन्य प्रतिवादी उत्तरदाताओं के मध्य किसे प्राप्त होंगी। आगे बढ़ने से पूर्व, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान अर्थात् धारा 15 का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार हैः

"15. हिन्दू स्त्रियों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम—

(1) किसी हिन्दू स्त्री की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति धारा 16 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अवतरित होगी—

(क) प्रथमतः, पुत्रों एवं पुत्रियों (जिसमें किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतानें भी सम्मिलित हैं) तथा पति पर;

(ख) द्वितीयतः, पति के उत्तराधिकारियों पर;

(ग) तृतीयतः, माता और पिता पर; (घ) चतुर्थतः, पिता के उत्तराधिकारियों पर; तथा (ङ) अन्ततः, माता के उत्तराधिकारियों पर।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी हिन्दू स्त्री द्वारा अपने पिता या माता से प्राप्त कोई संपत्ति, यदि मृतका की कोई पुत्र या पुत्री (जिसमें किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतानें भी सम्मिलित हैं) न हो, तो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों पर निर्दिष्ट क्रम में अवतरित न होकर पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी; तथा

(ख) किसी हिन्दू स्त्री द्वारा अपने पति या श्वसुर से प्राप्त कोई संपत्ति, यदि मृतका की कोई पुत्र या पुत्री (जिसमें किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतानें भी सम्मिलित हैं) न हो, तो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों पर निर्दिष्ट क्रम में अवतरित न होकर पति के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी।"

उपरोक्त धारा उस हिन्दू स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए, जिसकी अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है, एक निश्चित एवं एकरूप योजना निर्धारित करती है। इस धारा में ऐसी निर्वसीयत हिन्दू स्त्री के उत्तराधिकारियों को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें उपधारा (1) में (क) से (ङ) तक की प्रविष्टियों के रूप में वर्णित किया गया है। उपधारा (1) द्वारा निर्धारित सामान्य एवं एकरूप उत्तराधिकार व्यवस्था पर उपधारा (2) द्वारा समान प्रकृति के दो अपवाद आरोपित किए गए हैं। ये दो अपवाद निम्नलिखित हैं— (1) यदि स्त्री की मृत्यु बिना किसी संतान के हो जाती है, तो उसके द्वारा अपने पिता अथवा माता से प्राप्त संपत्ति, प्रविष्टि (क) से (ङ) तक निर्धारित क्रम के अनुसार अवतरित न होकर उसके पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी; तथा (2) यदि संपत्ति उसे उसके पति अथवा श्वसुर से प्राप्त हुई हो, तो वह प्रविष्टि (क) से (ङ) तक निर्धारित क्रम के अनुसार अवतरित न होकर उसके पति के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी। उपर्युक्त दोनों अपवाद केवल उस संपत्ति तक सीमित हैं जो हिन्दू स्त्री को उसके पिता, माता, पति अथवा श्वसुर से उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त हुई हो। वे उन संपत्तियों को प्रभावित नहीं करते जो उसे इनमें से किसी के द्वारा दान अथवा वसीयत के माध्यम

से प्राप्त हुई हों। वर्तमान धारा 15 को धारा 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए एक नवीन एवं एकरूप व्यवस्था विकसित करती है तथा उसके वितरण की विधि को विनियमित करती है। दूसरे शब्दों में, यदि संपत्ति स्त्री को उसके पिता या माता से प्राप्त हुई हो, तो इस उत्तराधिकार व्यवस्था का संचालन केवल उस स्थिति तक सीमित है जब उसकी मृत्यु बिना किसी पुत्र, पुत्री अथवा किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतान के हो।

धारा 15 की उपधारा (2) उस स्थिति में एक अपवाद का प्रावधान करती है, जब किसी स्त्री की निर्वसीयत मृत्यु उसके पुत्र, पुत्री अथवा किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतान छोड़े बिना हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि संपत्ति उसे किस स्रोत से प्राप्त हुई थी। यदि संपत्ति उसे उसके पिता या माता से प्राप्त हुई थी, तो उसका अवतरण धारा 15(2)(क) के अनुसार होगा। यदि संपत्ति उसे उसके पति या श्वसुर से प्राप्त हुई थी, तो उसका अवतरण धारा 15(2)(ख) के अनुसार उसके पति के उत्तराधिकारियों पर होगा। यह उपबंध यह निर्धारित करता है कि यदि किसी स्त्री को संपत्ति उसके पिता या माता से प्राप्त हुई हो, तो वह अन्य उत्तराधिकारियों पर अवतरित न होकर उसके पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई पुत्र या पुत्री, अथवा किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतान विद्यमान न हो, तो संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी। फलस्वरूप, यदि किसी स्त्री ने संपत्ति अपने पिता या माता से प्राप्त की हो, तो न तो उसका पति और न ही उसके पति के उत्तराधिकारी उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करेंगे; बल्कि वह संपत्ति पुनः उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास लौट जाएगी। वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि राजात्तियम्माल की निर्वसीयत मृत्यु हुई थी तथा उसने कोई पुत्र, पुत्री अथवा किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतान नहीं छोड़ी थी। अतः संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होगी।

यह तर्क दिया गया कि उसे संपत्ति समझौता डिक्री के कारण प्राप्त हुई थी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति उसे उसके पिता या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। हमारे मत में इस तर्क में कोई सार नहीं है। राजात्तियम्माल, शिवभाग्यम्माल की पुत्री थी और उसकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण वह अपनी मातामही की संपत्ति की उत्तराधिकारी बनने की अधिकारी थी। चूँकि अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया था, इसलिए एक वाद दायर किया गया। उस वाद में राजात्तियम्माल के अधिकारों को मान्यता दी गई और उसके पक्ष में समझौता डिक्री पारित की गई। परिणामस्वरूप, उसे संपत्ति उसकी माता की पुत्री होने के नाते प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह है कि उसे संपत्ति उसके पति अथवा श्वसुर से नहीं, बल्कि उसकी मातृपक्षीय वंशावली से प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में, अधिनियम की धारा 15(2)(क) के अनुसार, उसके पिता एस. वी. वेणुगोपाल चेट्टियार के उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के अधिकारी होंगे।

अय्यी अम्माल बनाम सुब्रमणिया आसारी एवं अन्य, एआईआर 1966 मद्रास 369 के निर्णय का निम्नलिखित अंश यहाँ उपयोगी रूप से उद्धृत किया जा सकता है—

> "सामान्यतः हिन्दू स्त्री के उत्तराधिकार का प्रावधान धारा 15 की उपधारा (1) में किया गया है। उपधारा (2) के माध्यम से एक अपवाद जोड़ा गया है, जो उस संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार की भिन्न व्यवस्था को मान्यता देता है जिसे स्त्री ने उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया हो। यह सीमित सीमा तक प्राचीन हिन्दू विधि को मान्यता प्रदान करता है, जिसमें उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति में स्त्री का सीमित अधिकार होता था तथा उसके अवतरण की व्यवस्था अंतिम पूर्ण स्वामी से संबंधित मानी जाती थी। प्रथम दृष्टया, यह अपवाद इस उद्देश्य से जोड़ा गया प्रतीत होता है कि मृत स्त्री द्वारा अपने माता-पिता से प्राप्त संपत्ति उसके पिता के परिवार में बनी रहे तथा इसी प्रकार पति या श्वसुर से प्राप्त

संपत्ति पति के परिवार में बनी रहे। 'उत्तराधिकार प्राप्त करना' का अर्थ है उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करना, अर्थात् वंशानुगत उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करना।

वेणुगोपाल पिल्लै बनाम टी. अम्माल, एआईआर 1979 मद्रास 124 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि जिन मामलों में हिन्दू स्त्रियों ने समझौते के माध्यम से अधिकार प्राप्त किए हैं, वहाँ ऐसा समझौता उनके पूर्व विद्यमान अधिकार की पुनर्पुष्टि और घोषणा मात्र होता है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उनके-अपने मामलों का सारांश पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिया जा चुका है। यह विवादित नहीं है कि राजात्तियम्माल की निर्वसीयत मृत्यु हुई थी तथा उसे वाद संख्या 8/1926 और नटनसभापति द्वारा दायर वाद संख्या 15/1942 में समझौते के माध्यम से कुछ संपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं। वादपत्र की द्वितीय अनुसूची की मद संख्या 1 से 3, 5 तथा 8 से 18 तक की संपत्तियाँ, वाद संख्या 8/1926 में पारित समझौता डिक्री के अंतर्गत राजात्तियम्माल को आवंटित की गई थीं। इसी प्रकार, मद संख्या 4, 6 और 7 वाद संख्या 15/1942 में पारित समझौता डिक्री के अंतर्गत राजात्तियम्माल को प्रदान की गई थीं। इस प्रकार राजात्तियम्माल द्वारा प्राप्त सभी संपत्तियाँ इन दोनों वादों में पारित समझौता डिक्रियों के अंतर्गत प्राप्त हुई थीं।

हमने अपीलकर्ता तथा उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर, अभिवचनों, साक्ष्यों, प्रदर्शों, अभिलेखों तथा इस अपील में आक्षेपित निर्णयों के विशेष संदर्भ में, गंभीरतापूर्वक विचार किया है। अपीलकर्ता-वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किए जाने योग्य हैं। विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश तथा खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीश, अपीलकर्ता/वादी के मामले को खारिज करने में त्रुटिपूर्ण रहे हैं।

हमारे मत में, अपीलकर्ता/वादी का यह तर्क कि वर्तमान मामले में राजात्तियम्माल की 1.7.1972 को मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्तियों पर केवल अधिनियम की धारा 15(2) लागू होती है, विधिसम्मत एवं सुदृढ़ आधार वाला है। उच्च न्यायालय ने, विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष की पुष्टि करने के पश्चात् कि प्रदर्श बी-26, जिसे प्रथम उत्तरदाता के अनुसार राजात्तियम्माल द्वारा निष्पादित वसीयत बताया गया था, विधिवत सिद्ध नहीं हुई है, यह भी अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि अधिनियम की धारा 15(2)(क) के अनुसार संपत्तियाँ राजात्तियम्माल के पिता के उत्तराधिकारियों पर अवतरित होंगी।

वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि राजात्तियम्माल ने संपत्ति अपनी माता से प्राप्त की थी। अतः लागू प्रावधान अधिनियम की धारा 15(2) होगा, जिसके अनुसार संपत्तियाँ उसके पिता के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होंगी। फलस्वरूप, वादी/अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 9/उत्तरदाता संख्या 2 से 9, जो राजात्तियम्माल के पिता वेणुगोपाल चेट्टियार की उनकी तृतीय पत्नी नागलक्ष्मी से उत्पन्न संतानें हैं, वादग्रस्त संपत्तियों के अधिकारी होंगे। अतः प्रथम प्रतिवादी तथा अन्य प्रतिवादी उत्तरदाताओं का यह तर्क कि राजात्तियम्माल ने संपत्तियाँ अपनी माता से नहीं बल्कि अपनी मातामही एवं प्रपितामही से प्राप्त की थीं और इसलिए केवल अधिनियम की धारा 15(1) लागू होगी, किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान मामले में राजात्तियम्माल ने अपने अधिकार समझौते के माध्यम से प्राप्त किए थे, जो उसके पूर्वविद्यमान अधिकार की पुनर्पुष्टि एवं घोषणा मात्र थी। अतः राजात्तियम्माल की निर्वसीयत एवं निःसंतान मृत्यु होने पर वादग्रस्त संपत्तियाँ उसके पिता वेणुगोपाल चेट्टियार के उत्तराधिकारियों पर अवतरित हुईं। वर्तमान वादी/अपीलकर्ता वी. दण्डपाणि चेट्टियार, जो राजात्तियम्माल के पिता की तृतीय पत्नी से उत्पन्न पुत्र है, तथा उत्तरदाता संख्या 2 से 9 और 23, जो राजात्तियम्माल के पिता की संतानें एवं उनकी एक पत्नी हैं, अधिनियम की धारा 15(2)

(क) के अंतर्गत उत्तराधिकारी बनते हैं और उत्तराधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि राजात्तियम्माल को संपत्तियाँ समझौता डिक्रियों के अंतर्गत प्राप्त हुई थीं, जो न्यायालयों द्वारा पारित समझौता डिक्रियों के माध्यम से उसके पूर्वविद्यमान अधिकार की घोषणा के समान हैं।

हमारे मत में, वादी/अपीलकर्ता तथा उत्तरदाता संख्या 2 से 9 और 23/प्रतिवादी संख्या 2 से 9 और 23 ही राजात्तियम्माल के वैध उत्तराधिकारी हैं और वे ही उसकी संपत्तियों के उत्तराधिकार के अधिकारी हैं।

उपरोक्त कारणों से, हम कडलूर के अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित तथा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथम अपील संख्या 1055/1977 में तथा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 32/1983 में दिनांक 12.04.1988 को पुष्टि किए गए निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने में कोई संकोच नहीं करते।

अतः वादी/अपीलकर्ता द्वारा दायर यह अपील स्वीकार की जाती है। पक्षकारों के पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

बी.बी अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।